केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली--110 067

CICOM/A/P/20/00064
CICOM/R/P/20/00281

अपीलकर्ता का नाम : **श्री अभिषेक कुमार**
सचिव, नेशनल आरटीआई फोरम
द्वारा श्री जय शंकर तिवारी,
बुनियाद नगर, भनपुरी, पोस्ट–बिरगाँव, जिला–रायपुर,
छत्तीसगढ़। पिन–493 221

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	06.07.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	21.07.2020
4.	सीपीआईओ का नाम	श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई स्कंध, सीआईसी
3.	प्रथम अपील की तिथि	05.08.2020
5	प्रथम अपीलीय आदेश की तिथि	03.09.2020

संक्षिप्त तथ्य :

1. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से वर्ष 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) और धारा 20(2) के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्रवाईयों की संख्या, धारा 19(8)(बी) के अंतर्गत आरटीआई आवेदकों को प्रदान करवाये गए मुआवजों की संख्या, जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या और उक्त से संबंधित मामलों में सूचना आयुक्तों के नाम, मामलों के विवरण आदि सूचना की मांग कुल 4 बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

2. प्रार्थी के प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री राम कुमार, आरटीआई स्कंध ने दिनांक 21.07.2020 के माध्यम से यह सूचित किया कि प्रार्थी वांछित सूचना के संदर्भ में आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध आयोग के संबंधित वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रथम अपील का आधार :

3. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से यह अभियोग लगाया है कि उनके आवेदन के संदर्भ में प्रदान की गयी सूचना गलत है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने इस संदर्भ में कोई दलील प्रस्तुत नहीं की है।

आदेश :

4. आरटीआई आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब और प्रथम अपील का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से वांछित सूचना के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने उन्हें तथ्यात्मक वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है कि प्रार्थी वांछित सूचना के संदर्भ में आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदनों में दी गयी सूचना का अवलोकन कर सकते हैं। प्रार्थी ने अपने अपील प्रपत्र में प्रदान की गयी सूचना को गलत बताया है। हालांकि प्रार्थी ने इसका कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है कि वांछित सूचना कैसे

गलत है। प्रस्तुत संदर्भ में एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड, जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और प्रदान करवाये गए मुआवजों से संबंधित विवरण आयोग के निर्णयों, जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, से प्राप्त किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 11271/2009 (द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एवं अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार गर्ग एवं अन्य)के संदर्भ में दिनांक 01.06.2012 को दिये आदेश में यह अधिकथित किया है कि एक बार सूचना जब लोक प्रक्षेत्र और वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जाती है, वह सूचना उस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन नहीं होगी और इस प्रकार 'सूचना का अधिकार अधिनियम, के अंतर्गत सुलभ नहीं होगी। इस प्रकार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्क है। अतः प्रस्तुत मामले में अधोहस्ताक्षरी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध, प्रार्थी यदि चाहें, प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं।

मीनाशर्मा 03/09/2020

दिनांक – 03 सितम्बर, 2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।

04/09/20

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
04 SEP 2020
D. No.........
Initials.........